2022/251

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम छाजूराम वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या 78 / 2022 प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/9/22	प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये मदनलाल जाट मूल वाद पत्र के साथ पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया । प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया गया जाता है कि हाल आराजी खसरा नंबर 423, 397, 398, 399, 401, 402, 404, 405 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की हिस्से की भूमि की सीमा तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे और एक माह में तामील नहीं कराने कर स्थगन स्वतः समाप्त माना जाएगा। अप्रार्थीगण को यदि कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। तदानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 7/9/22 को पेश हों । उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
7/9/22	वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण की तामील मूल वाद पत्र में हो चुकी है। वास्ते आगामी कार्यवाही पत्रावली दिनांक 16/9/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
16/9/22	वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के उपस्थित नहीं है जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। मूल वाद के [illegible] है जिसके [illegible] किया जा चुका है। अतः इस न्यायालय से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक दिनांक 8/9/22 के द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को सम्पुष्ट किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर मूल वाद के हक शामिल रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	